सत्यमेव जयते

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

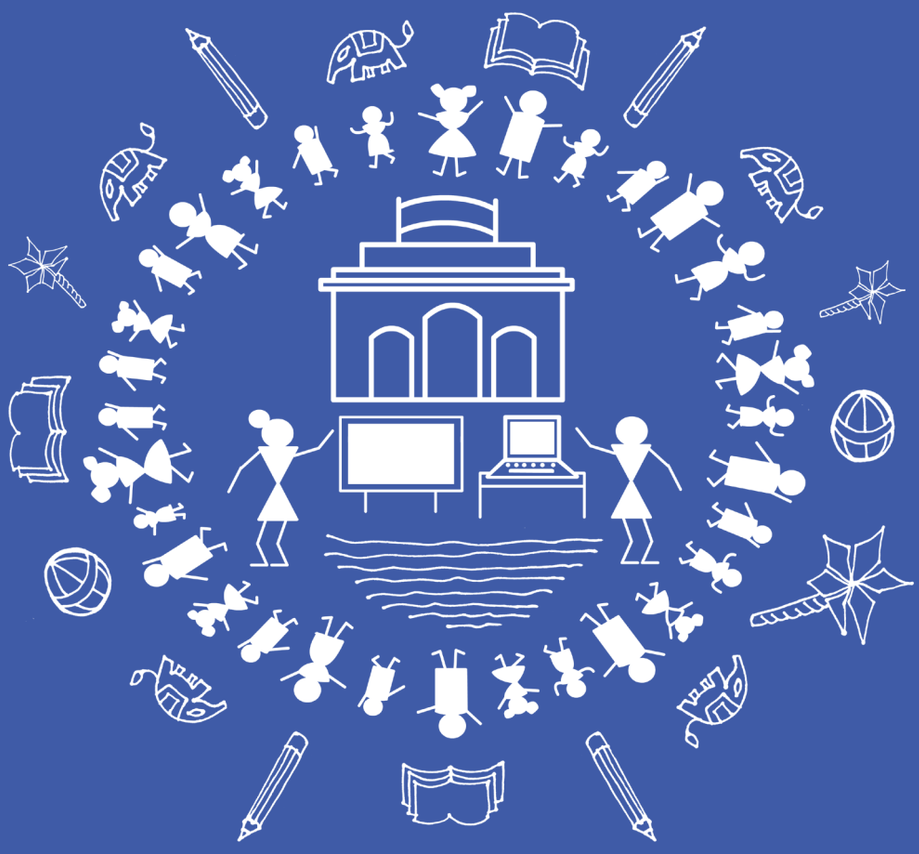

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

2020

की कार्यान्वयन योजना

सार्थक

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से
छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति

विवरणिका

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा के सभी चरणों में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा पर जोर दिया गया है। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा न केवल जीवन बदलने वाली है, बल्कि एक माइंड–क्राफ्टिंग और चरित्र निर्माण का अनुभव भी है, जो नागरिकता पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। सशक्त शिक्षार्थी न केवल देश की कई बढ़ती विकासात्मक अनिवार्यताओं में योगदान देते हैं बल्कि एक न्याय संगत और समता–पूर्ण समाज बनाने में भी भाग लेते हैं। नीति के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षा प्रणाली के निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप एक विस्तृत कार्यान्वयन योजना विकसित की गई है जो भारतीय लोकाचार में निहित है और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलने के लिए ऊपर प्रतिपादित सिद्धांतों के साथ संरेखित है। इसके अलावा, नीति में भारत की परंपराओं और मूल्य प्रणालियों को समाहित करते हुए एसडीजी 4 सहित 21वीं सदी की शिक्षा के आकांक्षी लक्ष्यों के अनुरूप एक नई प्रणाली बनाने के लिए इसके नियमन और गवर्नेंस सहित शिक्षा ढांचे के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव है।

नीति की व्यापक प्रकृति और इसके समय बद्ध लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न ब्यूरो प्रमुखों, शिक्षा मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों, विभिन्न संबन्धित मंत्रालयों और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को मसौदा योजना साझा कर, टिप्पणियां और आभासी विचार–विमर्श करके प्रमुख मुद्दों पर उप–योजनाओं का संकलन कर इस कार्यान्वयन योजना को विकसित किया गया है। प्रत्येक खंड के प्रारंभ में यह योजना नीति की सिफारिशों को प्रस्तुत करती है और फिर नीति में बताए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेपों की एक व्यवस्थित योजना प्रदान करती है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ड्रॉप आउट दरों में कटौती और सभी स्तरों पर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र, शिक्षक, समान और समावेशी शिक्षा, कुशल पुनर्संक्रंपन और प्रभावी शासन, स्कूल शिक्षा का विनियमन और मान्यता, शिक्षक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़शिक्षा, प्रौद्योगिकी–उपयोग और एकीकरण सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना जैसे विषयों के तहत सूचीबद्ध नीति की सिफारिशों को प्रस्तुत करती है।

कार्यान्वयन योजना में राज्यों को उनके पारिवेश के अनुसार क्रियान्वित करने का लाचीलापन भी दिया गया है ।

कार्यान्वयन योजना के प्रमुख फोकस क्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं:

1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई):

यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रेड 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र स्कूल के लिए तैयार हैं, गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान जितनी जल्दी हो सके, 2030 तक प्राप्त किए जाने चाहिए । आंगनबाड़ियों व पूर्व विद्यालयों में 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा "प्रारंभिक कक्षा" में जाएगा, जिससे छात्र के सीखने के परिणामों में सुधार होगा और ड्रॉपआउट कम होगा। आंगन बाड़ी प्रणालियों को भी मजबूत किया जाएगा जिससे बच्चे की सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक जरूरतों का समग्र विकास सुनिश्चित हो सके।

प्रमुख कार्य:

i. ईसीसीई के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF) का विकास।
ii. डाटासंग्रह और मूल्यांकन के लिए यूडाईस् के साथ ईसीसीईडाटा को एकीकृत करना।
iii. आंगनवाड़ियों के सुदृढ़ीकरण / सह–स्थापन और ईसीसीई का कार्यान्वयन करना।
iv. प्राथमिक स्कूलों / स्कूल–पूर्व वर्गों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना।
v. आंगनवाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों में परिचयात्मक / प्रारंभिक कक्षा / बालवाटिका से शुरू होने वाले ईसीसीई का चरण वद्ध तरीके से रोल आउट।
vi. बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन और स्वास्थ्य के लिए चरण बद्ध तरीके से पूर्व–प्राथमिक कक्षाओं में एमडीएम का विस्तार करना।
vii. ईसीसीई शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण।
viii. आश्रमशालाओं में ईसीसीई का कार्यान्वयन।
ix. जनजातीय मामलों के मंत्रालय, डब्ल्यूसीडी, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि सहित एक संयुक्त कार्य बल का गठन ।

2 बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान:

पढ़ने और लिखने की क्षमता और संख्या का बुनियादी ज्ञान आगामी शिक्षा के लिये एक आवश्यक नींव और आजीवन सीखने के लिए अपरिहार्य शर्त है। 2025 तक प्राथमिक विद्यालय और उससे आगे के विद्यालयों में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करना है।

प्रमुख कार्य:

i. बुनियादी साक्षरताएवंसंख्या–ज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ।
ii. बुनियादीसाक्षरताएवंसंख्या–ज्ञानके लिए लक्ष्य निर्धारित करना।
iii- एफएलएन मिशन के लिए रणनीतिक योजना राष्ट्रीय स्तर पर।
iv. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रणनीतिक योजनारू वार्षिक कार्यान्वयन योजना।
v. बुनियादी साक्षरता एवं संख्या–ज्ञान के ढांचे का विकास।
vi. स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास।
vii. संसाधनों का भंडार।
viii. पीयर ट्यूटरिंग, सामुदायिक भागीदारी, पुस्तकों और पुस्तकालयों के लिए दिशानिर्देश।
ix. पठन–पाठन संस्कृति पर ध्यान केन्द्रित करना और डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना।
x. बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के उपाय विकसित करना।

3 ड्रॉपआउट बच्चों की संख्या कम करना और सभी स्तरों पर शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना:

देश के सभी बच्चों को प्री–स्कूल से ग्रेड 12 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित गुणवत्तापूर्ण समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक पहुंच और सामर्थ्य सुनिश्चित करना।

प्रमुख कार्य:

i. सभी स्तरों पर जीईआर बढ़ाना और स्कूल से बाहर बच्चों (ओओएससी) को स्कूली शिक्षा में वापस लाना।
ii. स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना और पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता।
iii. छात्रों के लिये काउंसलर और ट्रैकिंग का प्रावधान।
iv. शिक्षा विस्तार के लिए एनआईओएस और एसआईओएस का सुदृढ़ीकरण।
v. गैर–सरकारी परोपकारी गतिविधि एवं सामुदायिक सहभागिता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

4 स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र:

सीखने की प्रक्रिया समग्र, एकीकृत, समावेशी, आनंदमई और सुखद होनी चाहिए। रटने की पद्धति को कम करने और समग्र विकास एवं 21वीं सदी के कौशल जैसे महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, वैज्ञानिक सोच, संचार, सहयोग, बहुभाषावाद, समस्या समाधान, नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व, और डिजिटल साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन में 2022 तक बदलाव कर दिया जाएगा ।

प्रमुख कार्य:

i. एक नए डिजाइन (5+3+3+4) में स्कूली पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र के पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क (एनसीएफ), दिशानिर्देश और सहायता सामग्री विकसित करना।
ii. पाठ्यक्रम विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त बनाना ।
iii. भाषा की शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना ।
iv. पाठ्यक्रम में आवश्यक विषयों और कौशल का एकीकरण ।
v. स्थानीय विषय वस्तु और आस्वाद के साथ पाठ्यपुस्तकों का विकास।
vi. विद्यार्थियों के विकास के लिए आकलन में आमूल–चूल परिवर्तन।
vii. समग्र प्रगति कार्ड ।
viii. छात्र विकास के लिए माध्यमिक शिक्षा में आकलन पद्धति में परिवर्तन द्य
ix. छात्रों के बीच सीखने की प्रगति पर नजर।
x. राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना और उसके कार्ये।
xi. एनटीए द्वारा प्रवेश परीक्षा की समीक्षा ।
xii. विशेष प्रतिभा वाले और मेघावी विध्यार्थियों के लिए सहायता ।
xiii. राज्यों द्वारा एससीएफ का विकास ।

5 शिक्षक:

यह सुनिश्चित करना कि स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को उत्साही, प्रेरित, उच्च योग्यता प्राप्त, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से सुसज्जितशिक्षकों द्वारा पढ़ाया जाये।

प्रमुख कार्य:

i. शिक्षकों की भर्ती और तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार।
ii. सेवा परिवेश और संस्कृति में सुधार।
iii. शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास और कैरियर प्रगति।
iv. शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों का विकास।
v. स्कूली शिक्षा के कुछ क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता।
vi. अध्यापक शिक्षा संस्थानों (टीईआइ) से संबंधित प्रमुख पहलुओं के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्य योजना।

6 समतामूलक और समावेशी शिक्षा:

एक समावेशी और समतामूलक शिक्षा प्रणाली जिसमें सभी बच्चों को सीखने और आगे बढ़ने का समान अवसर मिले ताकि 2030 तक सभी लिंग–वर्गों और सामाजिक श्रेणियों में भागीदारी और अधिगम परिणामों को समान किया जा सके।

प्रमुख कार्य:

i. एसईडीजी और एसईजेड की पहचान ।
ii. लिंग समावेशी निधि की स्थापना।
iii. सीडब्ल्यूएसएन का समावेश और समान भागीदारी।
iv. विशेष शिक्षा या घर–पर आधारित अवसरों के प्रावधान।
v. एसईडीजी के लिए वैकल्पिक स्कूल और अन्य उपाय।

7 स्कूल कॉम्प्लेक्स/क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस :

राज्य स्कूलों के समूह बनाने या उनकी संख्या को समुचित रूप देने के लिए नवीन प्रक्रिया अपना एंगेजिस से संसाधन प्रबंधन सुगम हो सके और स्कूल प्रबंधन 2025 तक अधिक स्थानीय, प्रभावी और कुशल हो सके।

प्रमुख कार्य:

i. नई संरचनाओं में पहुँच को सुविधाजनक बनाने के लिए मौजूदा स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति की समीक्षा।
ii- स्कूल परिसरों की स्थापनाके लिए संबंधित राज्यों और केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए जाने वाले दिशा–निर्देश।
iii- स्कूलों की ट्विनिंग, बाल भवनों, सामाजिक चेतना केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण व स्थापना।

8 स्कूल शिक्षा का विनियमन और प्रत्यायन:

भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावी विनियमन और प्रत्यायन तंत्र के माध्यम से मजबूत किया जायेगा जो अखंडता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और शैक्षिक परिणामों में लगातार सुधार के लिए गुणवत्ता और नवाचार को बढ़ावा देता है। सभी के लिए 2030 तक सार्वभौमिक माध्यमिक शिक्षा के एसडीजी लक्ष्य 4 को प्राप्त करने के लिए, अगले 5 वर्षों यानी 2025 तक पूर्व–प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने और साथ ही उच्च माध्यमिक स्तर तक पहुंच बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे ।

प्रमुख कार्य:

i. विनियामक और शासन प्रणाली में सुधार।
ii. केंद्र और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा एसएसएसए की स्थापना जो मानकों को निर्धारित करेगी।
iii. सरकारी/निजी स्कूलों द्वारा ऑनलाइन और सार्वजनिक प्रकटीकरण।
iv. केंद्र व सरकारी स्कूलों के लिए नियामक तंत्र।
v. उच्च गुणवत्ता और समान स्कूली शिक्षा के लिए सार्वभौमिक, स्वतंत्र और अनिवार्य पहुंच।
vi. एनएएस के माध्यम से प्रणाली का मूल्यांकन।
vii. स्कूल सुरक्षा ढांचा।
viii. एससीईआरटी द्वारा स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्यायन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) का विकास।
ix. 2021 के अंत तक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना।

9 शिक्षक शिक्षा:

यह सुनिश्चित करना कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली को बहुविषयक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ले जाकर शिक्षकों को विषयवस्तु, शिक्षाशास्त्र और अभ्यास में उच्चतम गुणवत्ता का प्रशिक्षण दिया जाए, और 2030 तक सभी स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में चार वर्षीय एकीकृत स्नातक की डिग्री ।

प्रमुख कार्य:

i. सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम 2030 तक समग्र बहु–विषयक संस्थानों के भीतर आयोजित किए जाएंगे।

ii. स्टैंडअलोन/बेकार/निम्न–स्तरीय टीईआइ को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए कार्य।

iii. एनईपी 2020 को लागू करने के लिए शिक्षकों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में आवश्यक क्षमताओं की पहचान, सीपीडी और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक व्यापक इन–सर्विस वार्षिक शिक्षक प्रशिक्षण योजना।

10 व्यावसायिक शिक्षा:

2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से 50: शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का एक्सपोजर होगा।

प्रमुख कार्य:

i. व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार और सुदृढ़ीकरण।

ii- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन सुधार।

iii- शिक्षक, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण।

iv- सूचित विकल्प बनाने के लिए मार्गदर्शन।

v- कवरेज का विस्तार करने के लिए ओपन डिस्टेंस लर्निंग (ओडीएल)।

11 प्रौढ़ शिक्षा और जीवनपर्यंत सीखना:

2030 तक 100% युवा और वयस्क साक्षरता दर, और वयस्क एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों का विस्तार।

प्रमुख कार्य:

i. सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता।

ii. एनसीईआरटी द्वारा प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम ढांचे का विकास ।

iii. बुनियादी ढांचे, संसाधनों और प्रौद्योगिकी को सुनिश्चित करना।

iv. पुस्तकों, पठन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच।

12 भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन:

सभी भारतीय भाषाओं के संरक्षण, विकास और जीवंतता को सुनिश्चित करना है।

प्रमुख कार्य:

i. भारत के बहुभाषावाद के आलोक में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए दिशा–निर्देश, पाठ्यपुस्तकें और अन्य सामग्री विकसित करना ।

ii. एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत की विविधता, प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध विरासत के एक्सपोजर के लिए बच्चों को भ्रमण व ऑनलाइन या ई–पर्यटन शुरू करने, लिंक राज्यों मे पेन–पाल बनाने, लिंक राज्य की भाषा सीखने आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

iii. समृद्ध भाषा, कला, संगीत, स्वदेशी वस्त्र/खाद्य/खेल, संस्कृति और लोकाचार आदि के लिए ऑनलाइन रिपोजिटरी बनाना ।

13 प्रौद्योगिकी का उपयोग एवं एकीकरण:

शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग– छात्र के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए, शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को प्रौद्योगिकी से जोड़ना, वंचित समूहों के लिए शैक्षिक पहुंच में वृद्धि, बच्चों के सीखने के तरीके की समझ बढ़ाने के लिए डेटा की उपलब्धता में वृद्धि और शैक्षिक योजना, प्रशासन और प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना।

प्रमुख कार्य:

i. एनसीईआरटी में सीआईईटी को स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी पहलों को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने के लिए केंद्रीय हब बनाने के लिए सुदृढ़ किया जाएगा।

ii. उपलब्ध सामग्री के प्रभावी उपयोग के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल) को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के ई–संसाधनों से जोड़ा जाएगा।

iii. समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी योजना को मजबूत किया जाएगा जिससे राज्यों को छात्र नामांकन के आधार पर स्कूलों के लिए अंतर वित्तपोषण और समायोजित करने के लिए प्रौद्योगिकी–चुनाव के लिए अधिक विकल्प मिलेंगे।

iv. जिला स्तरीय और स्कूल स्तर के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांकों को शामिल करने के लिए यूडीईईएस. को और सुदृढ़ और विस्तारित किया जाएगा ।

14 ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा:

शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग।

प्रमुख कार्य:

i. ऑनलाइन शिक्षा के साथ शिक्षा को एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए प्रायोगिक अध्ययन।
ii. डिजिटल डिवाइड खत्म करने के लिए सभी के लिएई–लर्निंग संसाधनो की सुलभता सुनिश्चित करना ।
iii. मजबूत आईसीटी योजना के तहत डिजिटल उपकरणों के साथ विशेष शिक्षा क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में स्कूलों का एकीकरण।
iv. एक उपयोगी, किफायती, रखरखाव योग्य डिजिटल डिवाइस का उत्पादन और विपणन करना।
v. शिक्षा क्षेत्र में खुला, अंतरसंचालक, सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना प्रदान करना जिसका उपयोग कई प्लेटफार्मों और पॉइंट सोल्युशंस द्वारा किया जा सकता है ।
vi. ऑनलाइन शिक्षण मंच और टूल्स के विकास को सुविधाजनक बनाना।
vii. विषय–सामग्री बनाना, डिजिटल भंडार, और प्रसार।
viii. वर्चुअल लैब बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं और स्वयंप्रभा जैसे मौजूदा ई–लर्निंग प्लेटफार्मों का लाभ ।
ix. विश्व स्तरीय, डिजिटल बुनियादी ढांचे, शैक्षिक डिजिटल सामग्री और क्षमता के निर्माण के लिए एक समर्पित इकाई का निर्माण।

15 वित्तपोषण: सभी के लिए वहनीय एवं गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा

एक मजबूत ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से निधि प्रवाह की प्रभावकारिता और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख कार्य:

i. संसाधनों का प्रभावी और कुशल उपयोग।
ii. परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना और निधि का बेहतर उपयोग।
iii. एक मजबूत पीपीपी ढांचे के माध्यम से अधिक निजी भागीदारी की संभावना तलाशना।

16 कार्यान्वयन:

i. सभी हितधारकों द्वारा संरेखित और व्यवस्थित तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन।
ii. नीति के कार्यान्वयन में की गई प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षा ।
iii. नीति का मूल्यांकन और फाइन ट्यूनिंग के साथ–साथ बदलाव, यदि जरूरत हो तो, 2030 तककिए जाने चाहिए।
iv. 2040 के बादनीति की व्यापक समीक्षा।

प्रमुख कार्य:

i. विषयवार कार्यान्वयन समिति का गठन।
ii. विभिन्न विषयों की प्रगति पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
iii. जागरूकता पैदा करना और व्यापक प्रसार।

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग